

## विश्वभारती

### कार्यालय आदेश

कहना है कि दिनांक 10/12/2016 के अधि सूचित कार्यालय आदेश सं. जी/के-10/ईसी.5.11.16/11 के आलोक में विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक चिकित्सा पदों के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई थी। उपाचार्य महोदय के निदेशानुसार सीएजी लेखा परीक्षा पैरा की समीक्षा के आलोक में वापस लिया जाता है।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस संबंध में तदनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सं. स्था/ई-III/ओ.2  
दिनांक: 31/01/2023

हस्ता/-  
कुलसचिव (कार्यकारी)  
विश्वभारती

#### सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सभी निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल/विभाग
2. सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग/केंद्र/अनुभाग के प्रधान
3. वित्त अधिकारी
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), पी. एम. हॉस्पिटल
5. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
6. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
7. उप कुलसचिव (स्थापना)
8. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
9. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव
10. सहायक कुलसचिव (बैठक) कर्मी सभा के अगली बैठक में अनुसमर्थन हेतु।
11. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।
12. प्रभारी, राजभाषा प्रकोष्ठ - हिंदी में अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
13. कुलसचिव के निजी सहायक